

सिफारिशों का सार

1. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि यदि निर्धारित आवश्यक प्रमाणपत्र/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं एओ छूटें/कटौतियां अनुमत नहीं करेंगे।

(पैराग्राफ 2.06-2.07)

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि अधिनियम की धारा 10ए, 10(23सी), 80आईए, 80आईबी आदि में पर्याप्त प्रावधान हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्टें आयकर विभाग के पास उपलब्ध हों। यह प्रावधान स्वयं सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित लेखापरीक्षा रिपोर्टों को फाइल करने की विफलता के मामले में इस प्रकार दावा की गई छूटों/कटौतियों की अनुमति नहीं दी जाये। मंत्रालय ने यह भी उत्तर दिया कि सीबीडीटी की अनुदेश संख्या 9/2008 भी यह दोहराती है कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ दूसरी सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की मामलों की संवीक्षा करते समय सम्बन्धित अभिलेखों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के साथ विवेचनात्मक रूप से जांच की जानी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी उत्तर दिया कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत छूटों/कटौतियों का दावा करने वाले निर्धारित द्वारा लेखापरीक्षा की निर्धारित रिपोर्टें इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किये जाने को आवश्यक करने के लिए आईटी नियम 1962 के नियम 12 के परन्तुक को 01 अप्रैल 2013 से पूर्वलक्षी प्रभाव के साथ बदल दिया गया है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यद्यपि अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं, तथापि एओ ने निर्धारण के दौरान इनका सावधानी से पालन नहीं किया जिस पर मंत्रालय द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि एओ सीए की रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध जानकारी का पूर्ण रूप से उपयोग करें।

(पैराग्राफ 2.14)

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि समीक्षा निर्धारणों को अन्तिम रूप देने समय लेखापरीक्षा रिपोर्टों और अन्य दूसरी सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों और इन रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए विवेचनात्मक रूप से जाँच करने के लिए आवश्यक अनुदेश 2008 में जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा रिपोर्टों की ई-फाइलिंग को नि. व. 2013-14 से प्रारम्भ किया गया है। ई-फाइल की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी को 'कम्प्यूटर असिस्टिड सक्रूटनी सिलेक्शन' के अन्तर्गत संवीक्षा के लिए मामले चयन करने में उपयोग किया गया था। मामले के चयन हेतु कारण को उपलब्ध जानकारी के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए एओ को भी बताया गया था।

3. यह सत्यापित करने के उद्देश्य से कि क्या कर निर्धारित अवधि के भीतर अदा कर दिया गया है अथवा विलम्ब के कारण कोई ब्याज लगाया जाना है, मंत्रालय वितरित लाभांश घोषणा/भुगतान तिथि को फॉर्म 3सीडी में शामिल करने के लिए फार्म को संशोधित करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 3.2)

4. मंत्रालय, अधिनियम की धारा 115 जेएए के अंतर्गत क्रेडिट दावे की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती द्वारा अग्रणीत निर्धारण वर्षवार उपलब्ध मैट क्रेडिट का विवरण देने के लिए फॉर्म 3सीडी अथवा 29बी में संशोधन करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 3.3)

उपरोक्त सिफारिश 3 और 4 पर मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (फॉर्म 3सीए, फॉर्म 3सीबी और फॉर्म 3सीडी) को व्यापक रूप से जुलाई 2014 में संशोधित किया गया है अतः डीडीटी का भुगतान निर्दिष्ट समय के अंदर किया गया है का सत्यापन करने के उद्देश्य से लाभांश घोषणा/भुगतान तिथि को शामिल करने अथवा निर्धारण वर्षवार उपलब्ध मैट क्रेडिट को शामिल करने हेतु इसमें दुबारा संशोधन करना व्यावहारिक नहीं होगा। मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि अपेक्षित विवरणों को 2013-14 से आयकर विवरणी फॉर्म आईटीआर-6 के

एमएटीसी और डीडीटी अनुसूची में पहले से शामिल किया जा रहा है। तथापि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को नोट किया और उत्तर दिया कि इसे कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के फार्मों के आगामी संशोधन में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

5. मंत्रालय संचित निधि के निवेश और प्रयोग की सटीकता की जाँच करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्टों/संस्थानों द्वारा प्रयोग के रूप में अलग रखी गई राशियों के पिछले दस वर्षों के संग्रहण या उपयोग से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए फॉर्म 10बी और 10बीबी में संशोधन करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 3.4)

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि अपेक्षित विवरण पहले ही आयकर विवरणी फॉर्म में शामिल किए जा रहे हैं। फॉर्म 10बी और 10बीबी में समान विवरण को शामिल करने से अनुलिपिकरण होगा।

लेखापरीक्षा का मानना है कि यद्यपि सुसंगत सूचना विवरण आईटीआर में शामिल होती है, तथापि सीए द्वारा प्रमाणीकरण से आईटीआर में दी गई सूचना की सटीकता सुनिश्चित होगी।

6. मंत्रालय कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कर लेखापरीक्षा कार्यों की सीमा का निर्धारण सुनिश्चित करे।

(पैराग्राफ 3.6)

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि विनियामक निकाय अर्थात् दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) का दायित्व है कि वह कर लेखापरीक्षा की संख्याओं पर प्रतिबंध लगाए और इसे लागू करे। मंत्रालय ने पुनः उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों (टीएआर) की संख्या के विनियमन के लिए आईटीडी प्रणाली में नियंत्रण स्थापित करना कठिन है क्योंकि सीए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में तथा साथ ही सीए फर्म के प्रतिनिधि के रूप में टीएआर पर हस्ताक्षर करता है और कतिपय प्रकार की लेखापरीक्षा को आईसीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से छूट प्राप्त हैं। आईटीडी ऐसे मामलों की सूची जहां टीएआर की संख्या प्रथम दृष्टया अधिक हो जाती है, आईसीएआई द्वारा कार्यवाही के लिए प्रदान करता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम, धारा 44एबी के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा की अपेक्षा सीए की फर्मों द्वारा नहीं; लेखाकार द्वारा करता है। इसके अतिरिक्त कर लेखापरीक्षा कार्य पर सीमा धारा 44एबी के अंतर्गत की जाने वाली सभी कर लेखापरीक्षाओं के लिये आईसीएआई द्वारा निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सीए को कर लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है जो कि निर्धारिती द्वारा छूट/कटौती का दावा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, राजस्व के हित में और कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालय आईसीएआई के साथ विचार-विमर्श करके कर लेखापरीक्षा की सीमा का पालन करने के लिये आईटी प्रणाली में उचित नियंत्रण तंत्र प्रारंभ करे।

7. मंत्रालय ऐसे सीए जो निर्धारिती अथवा कंपनी के निदेशकों के रिश्तेदार हों, के किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने पर प्रतिबन्ध सुनिश्चित करे।

(पैराग्राफ 3.9)

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2014) कि 2015 की बजटीय प्रक्रिया के दौरान मंत्रालय ऐसे सीए जो निर्धारिती अथवा कंपनी के निदेशकों का रिश्तेदार हो, पर किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने पर प्रतिबन्ध का परीक्षण करेगा।

8. मंत्रालय अधिनियम की धारा 288 और 1999 के सीबीडीटी के अनुदेश सं. 1959 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।

(पैराग्राफ 3.9)

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2014) कि अधिनियम की धारा 288 में निहित प्रावधानों और 1999 के अनुदेश सं. 1959 और 09/2008 द्वारा पहले ही की गई कार्रवाई को देखते हुए इस मुद्दे पर और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

लेखापरीक्षा का मानना है कि यद्यपि पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे, लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहाँ एओ ने सीए रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध सूचना का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। मंत्रालय को सूचना के उपयोग पर एओ को गहन प्रशिक्षण देना चाहिए तथा इस संबंध में अपने आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करना चाहिए।

9. मंत्रालय को अधिनियम की धारा 288 के तहत कार्रवाई करने हेतु सीए द्वारा की गई त्रुटियों के मामलों को रिकार्ड करने के लिए एओ हेतु आईटीडी प्रणाली में एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.9)

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2014) कि प्रणाली में ऐसी घटनाओं को रिकार्ड करने के लिए एओ को सुविधा देने हेतु डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा लेखापरीक्षा का सुझाव शामिल किया जा सकता है।